ACM आमेर मु.०४५८

फर्द अहकाम

गोपीराम बनाम नाथूराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 71/25 प्रा.प.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे[ष]
	30/4/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल ड्यूटी पर पधारे हुए है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/5/25 को पेश हो।	
	8/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप० प्रार्थी ने रजि. एडी रसीद व ट्रेक रिपोर्ट मूलवाद में पेश किया। मुताबिक ट्रेक रिपोर्ट अप्रार्थी 1 ता 4 की तामील पूर्ण हो चुकी है कोई उपस्थित नहीं है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी के पास JDA की द्वारा ख०नं० 1359/1883 रकबा 0.10 हैक्टेयर में आवास योजना विकसित की जा रही है जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण वादी को आये दिन धमकी देते है कि यह JDA की भूमि में है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता JDA ने जाहिर किया कि ख०नं० 1359/1883 JDA के नाम है उक्त पर ~~[illegible]~~ [illegible] पाबंद नहीं किया जावे। पत्रावली में तीन बिन्दु मामला, अपूरणीय क्षति, सुविधा [illegible] [illegible] है। चूंकि वाद स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] का विवाद है प्रार्थी अपनी आराजी [illegible] निर्धारण के लिए अपने खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान करवाये ताकि निर्धारित सीमा का ज्ञान हो सके। यदि अप्रार्थी को	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:24 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अभियोग बनाम [illegible]

ालय

ा 71/24 प्रा.प.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	उनके खुद/स्वयं के बयान-नामजद पर पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	[signature] पीठासीन अधिकारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:24 IST
Reason: SelfAttested